शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय, वाड्रफनगर

जिला - बलरामपुर (छ.ग.)

विवरणिका

सत्र 2021-22

रैगिंग दण्डनीय अपराध है

मूल्य : रु. 50/-

प्राचार्य संदेश

हमें प्रसन्नता है कि आप दूरस्थ आदिवासी बाहुल्य ऐसे महाविद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, जो न केवल क्षेत्र में अपनी भव्यता एवं विशालता के लिये जाना पहचाना जाता है, बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाई नापने हेतु अपने पंखो को पसारते हुए छात्र-छात्राओं में बहुआयामी प्रतिभा को विकसित करने के लिए कृत संकल्पित है। यही नहीं यह महाविद्यालय नये जोश और प्रतिभा से सम्पन्न प्राध्यापकों से सुसज्जित है। जिसका सीधा लाभ यहाँ के अध्ययनरत् विद्यार्थियों को मिलेगा, जो प्रतिस्पर्धा के इस दौड़ में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं ।

यह बताते हुये गर्व की अनुभूति हो रही है कि रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफनगर जिस बहुआयामी उद्देश्यों को लेकर चल रहा है, इससे विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करते हुये भावी जीवन में नये-नये सोपानों को प्राप्त करने में सक्षम हो सकेगा साथ ही एक अच्छा नागरिक बनते हुये राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा । हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के विद्यार्थी हमारी वृहद् एवं प्रभावी कार्यक्रम ''धरती बचाओं'' से एक बार जुड़ जाने के बाद ताउम्र देश, समाज और समूचे मानव जाति के कल्याण के निमित्त कार्य करते रहने में सक्षम हो सकेगा ।

धन्यवाद

महाविद्यालय परिचय

शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय की स्थापना सरगुजा संभाग के अंतर्गत बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर तहसील/ब्लॉक में सन् 1989 में हुई। यह महाविद्यालय वर्तमान में संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय अंबिकापुर से संबद्ध है, जो संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से वाराणसी मार्ग पर लगभग 90 कि.मी. तथा उत्तर दिशा में रेनुकूट (उ.प्र.) से लगभग 78 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह तहसील/ब्लॉक दो राज्यों क्रमशः उत्तर में उत्तरप्रदेश तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है।

प्रारंभ में यह महाविद्यालय कला संकाय से प्रारंभ होकर वर्तमान में कला, विज्ञान (जीव विज्ञान एवं गणित), वाणिज्य एवं कम्प्यूटर विज्ञान (बी.सी.ए.) संकाय में स्नातक की कक्षायें संचालित हो रही है। यह महाविद्यालय वनांचल में स्थित होने के बाद भी प्रवेश संख्या की दृष्टि से अपने जिले में सर्वाधिक विद्यार्थियों की संख्या वाला महाविद्यालय होने का गौरव प्राप्त है।

महाविद्यालय में सुयोग्य प्राध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु महाविद्यालय प्रयासरत् है। पूर्व सहायक प्राध्यापक डॉ. विनय कान्त मिश्रा द्वारा 2013 से उल्लेखनीय पहल प्रारंभ कर दिया गया था। जिसके तहत् ''प्रकाश छात्रवृत्ति योजना'' विज्ञान संकाय के सभी कक्षाओं महाविद्यालय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिये पुरस्कृत किया जाता है। महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्र–छात्राओं को तैयार करने की पहल की जा रही है।

महाविद्यालय के प्राचार्य एवं प्राध्यापकगणों के प्रयासों से महाविद्यालय में स्वच्छ शैक्षणिक वातावरण है, साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से सी.सी. टी.वी कैमरा महाविद्यालय के प्रत्येक कक्षाओं में लगाया गया है, जिससे अध्यापन कार्य एवं अन्य

गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा सके। महाविद्यालय में विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, यथा– प्रवेश समिति, अनुशासन समिति, एन्टी रैगिंग समिति, छात्र संघ समिति, सांस्कृतिक समिति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समिति, अल्पसंख्यक समिति, शिकायत निवारण प्रकोष्ठ समिति आदि। जिससे महाविद्यालय के क्रियाकलाप एवं शैक्षणिक गतिविधियां स्वच्छ वातावरण में क्रियान्वयन की जा सके।

महाविद्यालय को अतिरिक्त भवन मिल जाने से छात्र–छात्राओं को आई.सी.टी.टूल्स, कम्प्यूटर आदि के माध्यम से सेमिनार एवं अध्यापन कार्य किया जा रहा है। हमारा महाविद्यालय विकास के पथ पर अग्रसर है, जिसका ध्येय वाक्य ''ज्ञानम् अनन्तम्'' महाविद्यालय के विकास का सूचक है।

महाविद्यालय में उपलब्ध पाठ्यक्रम

कला संकाय

1. स्नातक (बी.ए.)

बी.ए. में उपलब्ध विषय –

1. अनिवार्य विषय –
   (अ) आधार पाठ्यक्रम – हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन (प्रथम वर्ष)
2. वैकल्पिक विषय –
   1. हिन्दी साहित्य 2. अंग्रेजी साहित्य 3. राजनीति विज्ञान 4. समाज शास्त्र 5. इतिहास 6. अर्थशास्त्र 7. भूगोल

नोट – छात्र/छात्राओं को उपरोक्त में से किन्ही तीन वैकल्पिक विषयों का अध्ययन करना होगा।

विज्ञान संकाय

1. बी.एससी. (गणित समूह)
2. बी.एससी. (जीव विज्ञान समूह)

बी. एससी. में उपलब्ध विषय –

1. अनिवार्य विषय – (अ) आधार पाठ्यक्रम–हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन
2. वैकल्पिक विषय
   (क) गणित समूह – 1. गणित 2. रसायनशास्त्र 3. भौतिकशास्त्र
   (ख) जीव विज्ञान समूह – 1. वनस्पति शास्त्र 2. जन्तुविज्ञान 3. रसायनशास्त्र

वाणिज्य संकाय

1. बी.कॉम

बी.कॉम. के विषय –

बी.कॉम. प्रथम वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (ब) पर्यावरण अध्ययन
2. व्यावसायिक अर्थशास्त्र 3. व्यावसायिक पर्यावरण 4. व्यावसायिक संचार 5. व्यावसायिक नियमन रूपरेखा 6. वित्तीय लेखांकन 7. व्यावसायिक गणित

बी.कॉम. द्वितीय वर्ष

1. आधार पाठ्यक्रम – (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा 2. प्रबंध के सिद्धांत 3. उद्यमिता के मूल तत्व 4. कंपनी अधिनियम 5. व्यावसायिक सांख्यिकी 6. निगमित लेखांकन 7. लागत लेखांकन

बी.सी.ए. संकाय

बी.सी.ए. प्रथम वर्ष

1. (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (आधार पाठ्यक्रम) (ब) पर्यावरण अध्ययन
2. बी.सी.ए. सभी विषय।

बी.सी.ए. द्वितीय वर्ष

1. (अ) हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा (आधार पाठ्यक्रम)
2. बी.सी.ए. सभी विषय।

महाविद्यालय में कक्षावार उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	उपलब्ध स्थान
1.	बी.ए. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष (प्रत्येक)	300
2.	बी.एस.सी. प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष जीवविज्ञान समूह (प्रत्येक)	150
3.	बी.एस.सी प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष गणित समूह (प्रत्येक)	100
4.	बी.सी.ए. प्रथम एवं द्वितीय वर्ष कम्प्यूटर विज्ञान समूह (प्रत्येक)	40
5.	बी. कॉम प्रथम एवं द्वितीय वर्ष (प्रत्येक)	40

टीप :–

1. छात्र / छात्राओं को प्रथम वर्ष के विषय ही द्वितीय व तृतीय वर्ष में लेने होंगे ।
2. छात्र / छात्राओं को विभिन्न विषय में प्रवेश स्थान की उपलब्धता एवं अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांकों पर निर्भर होगा। प्राचार्य का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। स्थान न होने की दशा में छात्र / छात्राओं को इस संदर्भ में उनकी पसंद के विषय के बजाय ऐसे विषय लेने होंगें जिसमें स्थान उपलब्ध हो ।
3. विषय परिवर्तन के लिए आवेदन प्रवेश लेने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत करना आवश्यक है। विषय परिवर्तन सम्बन्धित विषय में स्थान उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

छत्तीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शन सिद्धांत सन् 2021-2022

1. प्रयुक्ति –

ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपाठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें।

2. प्रवेश की तिथि –

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना -

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक जमा किये जावेंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र, जमा करने की तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना -

स्थानांतरण प्रकरण छोड़कर 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितम्बर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की अंतिम तिथि से 15 दिन तक जो भी पहले हो, मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र/पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया। किन्तु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करने एवं आवेदन का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

2.3 पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र के लिये प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना -

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुर्नमूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के परिणाम घोषित

होने के 15 दिन तक संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय के कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जावेगा।

2.4 स्नातक प्रवेश के लिये -

पूरक परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों को भी स्थान रिक्त होने पर गुणानुक्रम के आधार पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रावधान अनुसार निर्धारित तिथि तक प्रवेश की पात्रता होगी। अन्य कक्षाओं में 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितम्बर तक कुलपति की अनुमति से अस्थायी प्रवेश देने हेतु प्राचार्य सक्षम हो तथा नियमित प्रवेश के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि महाविद्यालय में पूरक परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन जो भी पहले हो मान्य होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण –

बी.ए. - 300

बी.एस.सी. - 250 (गणित - 100, जीव विज्ञान - 150) स्थान परिवर्तनीय नही होगा।

बी.कॉम. - 40

बी.सी.ए. - 40

4. प्रवेश सूची –

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची सहित सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं जहाँ आवश्यक हो स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूलप्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रूप से वसूला जायेगा। तथापि ऐसे कारणों में 31 अगस्त के पश्चात् प्रवेश कर अनुमति नहीं दी जायेगी।

5. प्रवेश की पात्रता –

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा -

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के

शासकीय कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यवसायिक संगठनो के कर्मचारी जिनका पदांकन छ.ग. में हो पुत्र/पुत्री एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के बाद भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता हैं।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय में या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

5.2 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश -

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य एवं कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) स्नातक स्तर प्रथम/द्वितीय परीक्षा आवेदकों को उन्हीं विषयों की क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

6. समकक्ष परीक्षा -

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन/सीबीएसई तथा राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड 10+2 की परीक्षायें माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ एशोसियेशन ऑफ यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं। उनकी समस्त परीक्षायें छ.ग. के विश्वविद्यालय की परीक्षा की परीक्षा के समकक्ष मान्य हैं। उस्मानिया एवं काकनिया (ककतीय) विश्वविद्यालय जैसे बी.ए./बी.कॉम. डायरेक्टर वन सिटिंग परीक्षायें मान्य नहीं हैं।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा उपाधि मान्य नहीं हैं कि जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश -

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छ.ग. के किसी भी विश्वविद्यालय स्वशासी महाविद्यालय के प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता हैं किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों

में आवेदको ने पिछली परीक्षा दी हो तो इसका परीक्षण करने के पश्चात की नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छ.ग. के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से स्नात्तकोत्तर की प्रथम, द्वितीय या तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्ही विषय/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रो को 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क ले कर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती हैं।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता –

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य हैं.

8.1 स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा में एक विषय में पूरक परीक्षा कम्पार्टमेंट प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.3 पूरक परीक्षा में अनुतीर्णअस्थायी प्रवेश छात्र/छात्राओं को अस्थायी प्रवेश निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया जायेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हतायें –

9.1 किसी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश कर परीक्षा में सम्मिलित न होने/अध्ययन छोड़ देने/अनुतीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आबंटित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्हता नहीं माना जायेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो की पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया हैं के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जायेगा।

9.2 जिनके विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो/ न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/ अधिकारियों के साथ दुर्व्यहार/मारपीट करने जैसे गंभीर आरोप हो/ चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश ना देने के लिये प्राचार्य अधिकृत हैं।

9.3 महाविद्यालय में तोड़-फोड़ या महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने/ रैगिंग के आरोपी छात्र / छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश न देने के लिये अधिकृत हैं।

9.4 (क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना 1 जुलाई की स्थिति में की जावेगी परन्तु आयु सीमा के बंधन छात्राओं को 3 वर्ष की छूट रहेगी।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार / भारत सरकार के मंत्रालय / कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंसीत प्रयाशियों भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन हेतु भेजे गए छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेंटशीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति / पिछड़ा वर्ग / विकलांग विद्यार्थियों / महिला आवेदकों के लिये आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी।

9.5 पूर्णकालिन शासकीय / अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्त का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने बाद ही प्रवेश दिया जायेगा।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण –

10.1 उपलब्ध स्थानों में अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा।

स्नातक कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय हैं। तो अधिभार जोड़ कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता –

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्र / छात्राओं के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित, भूतपूर्व, नियमित परीक्षार्थी एक विषय के पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित छात्र / स्वाध्यायी छात्र के क्रमानुसार रहेगा।

11.3 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान / तहसील/ जिला में स्थित या आस-पास के अन्य जिले के समीपस्थ स्थानों पर स्थिति महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदन पर विचार न करते हुए उस विषय / विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर / तहसील/ जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपथ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावें। आवेदक के निवास स्थान/ तहसील जिला अन्य जिलों के समीपस्थ स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय / विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जावें।

12. आरक्षण –

छत्तीसगढ़ शासन के आरक्षण निति के अनुरूप निम्नानुसार होगा।

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जन जाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के क्रमशः 12 तथा 32 प्रतिशत आरक्षित रहेंगे। उन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनीय होंगे। प्रवेश के अंतिम तिथि पर 5 बजे के बाद अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के रिक्त सीटों एवं सामान्य एवं अ.पि.वर्ग से भरी जायेगी। इस हेतु प्राचार्य एक 5 सदस्यीय समिति गठित करेंगे जिसमें एक जनभागीदारी के सदस्य रहेंगे। समिति अ.जा.एवं अ.ज.जा. के रिक्त सीटों को सामान्य एवं अ.पि.वर्ग के गुणानुक्रम के स्तर पर सूची का सूचना पटल पर चस्पा करेंगे।

12.2 पिछड़े वर्ग के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र/पौत्रियों एवं नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत महिला छात्राओं के लिये आरक्षित रहेंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कॉम्पिटिशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता हैं तो आरक्षण श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी संवर्ग की यह सीट आरक्षित श्रेणी में भरी जायेगी। शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी।

12.6 आरक्षण का प्रतिशत 1/2 से कम आता हैं तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा। 1/2 प्रतिशत एवं 1 प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 प्रवेश के निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/ छात्रायें उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जायेगा।

13. अधिभार –

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये की प्रदान किया जायेगा। पात्रता प्राप्ति हेतु इसका नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा। अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैं। आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों अधिभार हेतु विचार नहीं किया जावेगा। एक से अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./ एन.एस.एस./ स्काउट्स

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/ गाइड्स/ रेन्जर्स/ रोचर्स के अर्थ में पढ़ा जावे

(क)	एन.एस.एस./ एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख)	एन.एस.एस./ एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग)	सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ)	राज्य स्तरीय संचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थी को	04 प्रतिशत
(च)	नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छ.ग. एन.सी.सी./ एन.सी.सी. कन्टिजेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ)	राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज)	राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ)	छ.ग. का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र)	भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एन.सी.सी./ एन.एस.एस. के तहत चयनित करने वाले कैडेट/ अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थी को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थियों स्नातकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने10 प्रतिशत

13.3 खेल कूद/ साहित्यिक/ सांस्कृतिक/ क्विज/ रूपांकन प्रतियोगितायें

(1) लोक शिक्षण संचलानालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अन्त स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/ क्षेत्र प्रतियोगिता में

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	02 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/ संचलानालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में

(क)	प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	06 प्रतिशत
(ख)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को	07 प्रतिशत
(ग)	संभाग/ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में

(क)	व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को	15 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य करने वाले को — 12 प्रतिशत

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रो के मध्य यूथ्स अथवा साइंस एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/ सांस्कृतिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छ.ग. शासन/ म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छ.ग./ म.प्र. का प्रधिनित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छ.ग. की टीम के सदस्य को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन -

छ.ग. एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./ खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिये एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/ एशियाड/ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम को अगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जाये, जिनके उन्हें पात्रता हैं । बशर्ते कि

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों के संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, छ.ग. द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यर्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया गया हैं परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिये उन्हे उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार क्रमिक सत्र तक प्रमाण पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र तक प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक, द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/ विषय ग्रुप परिवर्तन -

(क) स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी के संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांको से 5 घटा कर उनका गुणाक्रम निर्धारित किया जायेगा। अधिभार घटे हुए प्राप्तांको पर देय होगा।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/ विषय/ ग्रुप परिवर्तन अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 15 दिन तक ही जायेगी। यह अनुमति उन्ही विद्यार्थी को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/ संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विषयों के समकक्ष या उससे अधिक हों।

15. विशेष –

15.1 जाली प्रमाण पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझ कर छिपाये प्रतिकुल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन वश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया हैं तब इसे निरस्त करने की पूर्ण अधिकारी प्राचार्य को होगा।

15.2 प्रवेश लेकर किसी समूचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह या अधिक समय तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने की पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.4 एवं 9.5 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने अथवा निष्काषित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

15.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/ मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा छ.ग. रायपुर से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

15.6 इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्याता करने का अधिभार आयुक्त उच्च शिक्षा को हैं। इन मार्गदर्शन सिद्धांतों में समय-समय पर परिवर्तन/ संशोधन/ निरस्त/ संलग्न कर सम्पूर्ण अधिकार छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा।

शुल्क संबंधी नियम -

1. विद्यार्थी निर्धारित बैंक में अथवा महाविद्यालय की छात्र शाखा में फीस जमा करें।
2. प्रत्येक फीस तथा जमा की गयी राशि के लिए छात्र उसी समय रसीद प्राप्त करें । यदि रसीद मिलने में कोई कठिनाई हो तो तुरन्त प्राचार्य को सूचित करें। रसीद नहीं लेने तथा उसी समय प्राप्त न करने की जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी ।
3. शुल्क की राशि शासन के निर्देशानुसार परिवर्तनीय है। परिवर्तन संबंधी सभी आदेश अनिवार्य रूप से मानने होगें ।
4. छात्र सहायता निधि से सहायता हेतु विद्यार्थी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्रस्तुत करें। निर्धारित प्रपत्र कार्यालय से प्राप्त करें। एक विद्यार्थी को एक ही प्रकार की छात्रवृत्ति या सहायता राशि मिलेगी।
5. नामांकन शुल्क, नव प्रवेशित छात्र/छात्राओं के अलावा उन विद्यार्थियों के लिए देय है, जो अन्य बोर्ड अथवा अन्य विश्वविद्यालय से स्थानान्तरित होकर संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ.ग.) में नामांकित होना चाहता है।
6. समस्त शुल्क आवश्यक रूप से छात्र द्वारा ही भरा जाना चाहिए।

धरोहर राशि (अमानत राशि प्राप्त करने के नियम) -

1. धरोहर राशि निकलवाने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरकर महाविद्यालय के कार्यालय में कम से कम 10 दिन पूर्व जमा करें।
2. महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (टी.सी.) प्राप्त करने के पश्चात् राशि दी जायेगी।
3. परिचय पत्र एवं मूल रसीद के बिना धरोहर राशि का भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. धरोहर राशि का भुगतान साधारणतया प्रति शुक्रवार को अपरान्ह में ही किया जायेगा।
5. छात्र द्वारा महाविद्यालय छोड़ने के तीन वर्ष के अंदर धरोहर राशि (Caution Money) वापस प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा । तीन वर्ष व्यतीत होने पर शासन के आदेशानुसार धरोहर राशि (Caution Money) वापस नहीं की जायेगी।

छात्रवृत्तियाँ -

(महाविद्यालय में सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं, जो प्रत्येक सत्र में देय होगी।)

1. अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को नियमानुसार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
2. बी.पी.एल. कार्डधारी बच्चों को नियमानुसार बी.पी.एल. छात्रवृत्ति की पात्रता होगी। (मैट्रिकोत्तर एवं बी.पी .एल. छात्रवृत्ति में से किसी एक ही छात्रवृत्ति की पात्रता होगी)
3. प्रकाश छात्रवृत्ति–बी.एससी के विद्यार्थियों के मेरिट के आधार पर अधिक अंक से उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को पात्रता होगी।
4. छ.ग. शासन के निर्देशानुसार विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की पात्रता होगी।
5. योग्य निर्धन विद्यार्थी को वित्तीय सहायता व शुल्क में छूट छात्र सहायता निधि से प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के संबंध में विशेष जानकारी -

1. छात्रवृत्तियों का विस्तृत विवरण छात्रवृत्ति मार्गदर्शिका में देखें जो कि महाविद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध है। विद्यार्थी उसे पूरा पढ़ें व तदानुसार आवेदन समायावधि में कार्यालय में जमा करें ।
2. छात्रवृत्ति नियमों, पात्रता, आधार संबंधी शर्तो, वार्षिक दर आदि में शासन के निर्णयानुसार कभी भी परिवर्तन व संशोधन हो सकता है जो कि महाविद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाया जावेगा जिसे देखने का दायित्व स्वयं विद्यार्थी का होगा।
3. महाविद्यालय के सूचना पटल पर घोषित अंतिम तिथि के भीतर छात्रवृत्ति आवेदन पत्र नहीं देने पर आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जायेगा।
4. छात्रवृत्ति से संबंधित सूचनाएँ समय–समय पर नोटिस बोर्ड पर देखना विद्यार्थी का स्वयं का दायित्व है।
5. अपूर्ण या गलत अथवा अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जायेगें ।
6. आवेदन पत्र लेकर उसे समय पर कार्यालय में विद्यार्थी स्वयं अपनी जिम्मेदारी से जमा करें।
7. पात्रता होने पर भी यदि कोई विद्यार्थी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं करता है, तो इससे वंचित रह जावेगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी की होगी।
8. छात्रवृत्ति नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी को कार्यालय से प्रपत्र लेकर अगस्त माह में आवेदन करना होगा अन्यथा चालू वर्ष में छात्रवृत्ति मिलना बंद हो जायेगी, जिसका दायित्व पूरी तरह विद्यार्थी का होगा।
9. गलत आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपराध है इस पर शासन द्वारा किसी भी समय जांच की जा सकती है।
10. शासन के नियमानुसार जिन छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलती है, छात्रवृत्ति के नियमानुसार उनकी नियमित उपस्थिति अनिवार्य है। इस प्रकार यदि कक्षाओं में उनकी उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम रहे तथा परीक्षाओं में बैठने की पात्रता विश्वविद्यालयीन नियम के अन्तर्गत भले ही हो लेकिन शासकीय नियमों के अन्तर्गत उनकी छात्रवृत्ति आनुपातिक रूप से काट ली जायेगी।

टीप – महाविद्यालयीन विद्यार्थी जिन्हें कोई भी छात्रवृत्ति मिलती है, यदि हड़ताल आदि में भाग लेते है, तो ऐसे कदाचरण के कारण उनकी छात्रवृत्ति प्रभावित होगी।

महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधाएँ

पुस्तकालय / वाचनालय -

(अ) पुस्तकालय, वाचनालय का छात्र/छात्राएं पूरा–पूरा उपयोग करें। यदि विद्यार्थी पुस्तकालय की सुविधा का दुरूपयोग करता है तो उन्हें इस सुविधा से वंचित किया जा सकता है। दी गई पुस्तकों के पृष्ठ फटे अथवा खोये हुए पाये जाने पर विद्यार्थी को पूर्ति करनी होगी। पुस्तक लेते समय छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वह देख लें कि पुस्तक का कोई भी पृष्ठ खोया हुआ/फटा हुआ तो नहीं है। यदि विद्यार्थी ऐसा पायें तो तत्काल वह ग्रन्थपाल (लाईब्रेरियन) का ध्यान इस ओर आकर्षित करें, ताकि उन्हे दूसरी पुस्तक प्रदान की जा सके। निर्धारित समय के भीतर पुस्तक वापस न करने की दशा में अर्थदण्ड देना होगा।

(ब) गत वर्षों के प्रश्न पत्र एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं का उपयोग विद्यार्थी केवल वाचनालय में बैठकर ही कर सकतें हैं।

बुक बैंक योजना -

(अ) साधनहीन व निर्धन विद्यार्थियों के लिये बुक बैंक की विशेष व्यवस्था है। इच्छुक विद्यार्थी 30 सितम्बर के पूर्व बुक बैंक से सहायता हेतु आवेदन करें। आवेदन पत्र कार्यालय में जमा करें। बुक बैंक से पुस्तक एक सत्र के लिए प्राप्त हो सकेगी जो सत्रांत में लौटानी होगी।

(ब) महाविद्यालय के ग्रन्थालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों के लिए ''बुक बैंक'' योजना प्रारंभ है, महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने के पश्चात् ही छात्र/छात्राऐं प्रवेश–पत्र, परिचय पत्र एवं जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर ग्रन्थालय से पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ऐसे परिवारों के बच्चे) बुक बैंक योजना एवं बी.पी.एल. छात्र कल्याण छात्रवृत्ति इस योजना के अन्तर्गत आने वाले छात्र/छात्राओं को प्रमाण–पत्र, बी.पी.एल. कार्ड, निवास प्रमाण–पत्र एवं आय प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति एवं प्रपत्र, प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों को पुस्तकें प्रदाय करने की व्यवस्था श्री पंकज कुमार, ग्रंथपाल द्वारा की जाती है।

प्रयोगशाला -

महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में विषयवार प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है। वर्तमान में रसायनशास्त्र, भौतिकशास्त्र, प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र एवं भूगोल विभाग और कम्प्यूटर साईंस विभाग में पृथक–पृथक प्रयोगशालायें हैं।

हेल्प डेस्क -

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं की विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इसके प्रभारी अधिकारी श्री सुरेश कुमार पटेल (सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र) हैं। हेल्प डेस्क में छात्र/छात्राओं की निम्नलिखित समस्याओं का समाधान किया जायेगा –

1. विश्वविद्यालय/महाविद्यालयीन परीक्षा संबंधी।
2. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में प्रवेश संबंधी।
3. खेलकूद गतिविधि संबंधी।
4. ग्रंथालय संबंधी।
5. विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्ति जैसे – बी.पी.एल. छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये पोस्ट मैट्रिक एकीकृत छात्रवृत्ति, प्रकाश छात्रवृत्ति इत्यादि।
6. बी.पी.एल. बुक बैंक योजना से संबंधी।
7. छात्र/छात्राओं को निःशुल्क स्टेशनरी/पुस्तकें प्रदान करने संबंधी।
8. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के अधिकारी, कर्मचारी संबंधी।
9. साइकिल स्टैण्ड संबंधी।
10. रैगिंग संबंधी शिकायत।
11. प्रयोगशाला संबंधी।
12. प्रसाधन कक्ष संबंधी।
13. अध्यापन कक्षों की साफ–सफाई संबंधी।
14. एन.एस.एस. संबंधी गतिविधियां।
15. कॉमन रूम संबंधी इत्यादि।

इसके अतिरिक्त महिला उत्पीड़न की रोकथाम हेतु महाविद्यालय में पृथक से प्रकोष्ठ का गठन किया गया है, जिसके संयोजक श्री पंकज कुमार, ग्रंथपाल एवं सदस्य श्रीमति हुलसी बाई हैं।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) -

यह योजना संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय सरगुजा अम्बिकापुर (छ0ग0) से सम्बद्ध है। महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.) की 100 छात्र/छात्राओं की इकाई कार्यरत है। जिसके अंतर्गत विद्यार्थी श्रमदान, जागरूकता कार्यक्रम, वृक्षारोपण, प्रौढ़ शिक्षा, स्वच्छता, रक्तदान, एवं समयानुकूल समाज सेवा का कार्य करते हैं। छात्र/छात्राओं को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत दो वर्ष की अवधि में 240 घंटे का सेवा कार्य पूर्ण करना होता है। ''बी'' एवं ''सी'' प्रमाण–पत्र की परीक्षा की पात्रता हेतु नियमित गतिविधियों में 75 प्रतिशत उपस्थिति और कम से कम सात दिवसीय एक शिविर में भागीदारी आवश्यक है।

रेडक्रॉस -

महाविद्यालय में रेडक्रॉस की ईकाई कार्यरत है। रेडक्रॉस समिति स्वास्थ्य एवं जागरूकता से संबंधित कार्यक्रम/कार्य संचालित करती है। महाविद्यालय में फर्स्ट एड की सुविधा रेडक्रॉस कक्ष में उपलब्ध है। आवश्यकता पड़ने पर समिति द्वारा बीमार छात्र/छात्रा को ईलाज हेतु तत्काल निकटस्थ सिविल चिकित्सालय वाड्रफनगर में ले जाया जाता है। रेडक्रॉस समिति के संयोजक श्री पंकज कुमार (ग्रंथपाल) हैं।

खेलकूद -

महाविद्यालय में वॉलीवाल, बैडमिंटन, कबड्डी, खो–खो, क्रिकेट, टेबल टेनिस, फुटबॉल, शतरंज आदि इंडोर–आउटडोर खेलों के खेलने की सुविधा है। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि वे इनमें रूचि व भाग लें। टीम में स्थान प्राप्त करने के लिए नियमित अभ्यास में उपस्थिति जरूरी है। इसके प्रभारी डॉ. तोयज शुक्ला (सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र) हैं।

छात्र संघ -

महाविद्यालय में प्रतिवर्ष छात्र/छात्राओं की कलात्मक, सांस्कृतिक, साहित्यिक प्रतिभा को प्रोत्साहन हेतु छात्र संघ गठित किया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी छात्र संघ का सदस्य होता है। संघ की समस्त गतिविधियों में प्रत्येक छात्र/छात्रा का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। छात्र संघ की गतिविधियाँ डॉ. तोयज शुक्ला (सहायक प्राध्यापक रसायन शास्त्र) के मार्गदर्शन में कार्यान्वित होती हैं।

रोजगार उन्मुखी निःशुल्क कक्षाएँ -

महाविद्यालय में ऐसे छात्र/छात्राएं जो आगामी समय में प्रतियोगी परीक्षाओं मे सम्मिलित होना चाहते हैं, उनके लिये रोजगार उन्मुखी निःशुल्क कक्षाएँ एवं रोजगार के अवसरों की जानकारी दी जाती है। इसके प्रभारी श्री सुरेश कुमार पटेल, सहायक प्राध्यापक (प्राणीशास्त्र) हैं।

परिचय पत्र -

प्रत्येक छात्र के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। छात्र अपना परिचय–पत्र सावधानी पूर्वक रखें क्योंकि किसी भी परिस्थिति में परिचय पत्र दोबारा नहीं दिया जायेगा। एक छात्र को एक शिक्षण सत्र में एक बार ही परिचय पत्र दिया जायेगा।

नोट – प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय पत्र, ग्रंथालय कार्ड प्रतिदिन अपने साथ रखना एवं मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

रैगिंग - निषेध

रैंगिंग एक दण्डनीय अपराध है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा ''छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताड़ना का प्रतिषेध अधिनियम 2001'' जारी किया गया है जो राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैंगिंग तथा उनसे संबंधित मामलों और आनुषंगिक विषयों के निवारण हेतु अधिनियम है। इस अधिनियम के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :–

परिभाषा -

रैंगिंग से अभिप्राय है किसी छात्र/छात्रा को मजाकपूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से उत्प्रेरित, बाध्य या मजबूर करना जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो या किसी विधिपूर्ण कार्य करने से प्रविरत करना, आपराधिक, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध या उसे क्षति पहुंचाना या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग द्वारा या ऐसी आपराधिक धमकी, दोषपूर्ण अवरोध, दोषपूर्ण परिरोध, क्षति या आपराधिक बल का प्रयोग करना।

रैंगिंग का प्रतिषेध -

किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र/छात्रा प्रत्यक्षतः या परोक्ष या अन्य प्रकार से रैंगिंग में भाग नहीं लेगा।

दण्ड -

यदि कोई व्यक्ति रैंगिंग के प्रतिषेध के उपबंधों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या रैंगिंग करने के लिए दुष्प्रेरित करता है तो वह या तो कारावास से जो 05 वर्ष से अधिक नहीं होगा या जुर्माने से जो 05 हजार से अधिक नहीं होगा या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा। इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध संज्ञेय, अजमानतीय एवं अप्रशमनीय होगा।

अपराधों का विचारण -

इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

छात्र/छात्रा के निष्कासन के लिये निर्योग्यता -

इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था के प्रधान को इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिये अभियुक्त छात्र/छात्रा को निलंबित करने और शैक्षणिक संस्था–परिसर तथा छात्रावास में प्रवेश से वर्जित करने का अधिकार होगा। किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र/छात्रा जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन के लिये जिम्मेदार होगा। ऐसा छात्र/छात्रा जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्धदोष पाया गया हो, को किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में राज्य के क्षेत्राधिकार के भीतर तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण/संहिता

छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा। इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा।

सामान्य नियम

1. महाविद्यालय में प्रवेश के दौरान परिचय–पत्र एवं निर्धारित ड्रेस कोड का पालन करेगा।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूरा ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों का भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यष्न और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा।
4. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौच, मार–पीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
5. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा।
6. महाविद्यालय तथा कक्षाओं मे किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा।
7. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दिवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों मे संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
8. महाविद्यालय के संपत्तियों की रक्षा करें।
9. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन, हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा, तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिये किसी राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा सामाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
10. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का अनावश्यक उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.एस.एस. में भी लागू होगी अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करें, यदि टूट–फूट होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं छात्र की होगी।
3. उन उपकरणों एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
4. ग्रंथालय द्वारा बनाये गये नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होंगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दण्ड देना होगा।

5. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाई के लिए वह प्राध्यापकों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा।
6. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय मे पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा।
7. प्रत्येक विद्यार्थी बिजली और पानी की बचत करेगा तथा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन में अपना हर सम्भव सहयोग प्रदान करेगा।

परीक्षा संबंधी नियम -

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत् उपस्थिति अनिवार्य।
2. महाविद्यालय की आंतरिक परीक्षा, यूनिट टेस्ट, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य।
3. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
4. एन.एस.एस. कैम्प / खेलकूद / राज्य स्तरीय प्रतिस्पार्धाओं / यूथ रेडक्रॉस सोसायटी के कार्यक्रमों में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
5. उपस्थिति की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जावेगी।
6. कम उपस्थिति वाले छात्रों तथा उनके पालकों को सूचना दी जायेगी।
7. उपस्थिति की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जायेगी।
8. महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकेंगें।
9. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र -

1. यदि छात्र किसी अनैतिक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैंगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना–प्रतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैंगिंग किये जाने पर अथवा रैंगिंग के लिए प्रेरित करने पर पांच साल तक के कारावास की सजा या पांच हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
3. यदि विद्यार्थी समय–सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता है तो उसका नाम काट दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपायेगा अथवा गलत तरीके से प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

संकाय सदस्य

महाविद्यालय के प्राचार्य/सहायक प्राध्यापकों की जानकारी

संस्था प्रमुख - श्री सुधीर कुमार सिंह (प्रभारी प्राचार्य)

क्र. पद	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी का नाम	महाविद्यालय में पदस्थ दिनांक
प्राचार्य		01	रिक्त	—

कला संकाय

क्र.	पद	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी का नाम	महाविद्यालय में पदस्थ दिनांक
1	अर्थशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01	श्री सुधीर कुमार सिंह	19.08.2017
2	हिन्दी	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	
3	अंग्रेजी	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	
4	राजनीतिशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	
5	समाजशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	
6	भूगोल	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	
7	इतिहास	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	

विज्ञान संकाय

क्र.	पद	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी का नाम	महाविद्यालय में पदस्थ दिनांक
1	प्राणीशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01	श्री सुरेश कुमार पटेल	06.04.2017
2	रसायन	सहायक प्राध्यापक	01	डॉ. तोयज शुक्ला	18.07.2018
3	वनस्पतिशास्त्र	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	
4	भौतिक विज्ञान	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	
5	गणित	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	

वाणिज्य संकाय

क्र.	पद	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी का नाम	महाविद्यालय में पदस्थ दिनांक
1	वाणिज्य	सहायक प्राध्यापक	02	रिक्त	

बी.**सी**.ए.

क्र.	पद	पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत अधिकारी का नाम	महाविद्यालय में पदस्थ दिनांक
1	बी.सी.ए.	सहायक प्राध्यापक	01	रिक्त	

नोट : रिक्त विषयों का अध्यापन अतिथि व्याख्याता शिक्षकों के द्वारा कराया जाता है।

अशैक्षणिक / कार्यालयीन सदस्य

क्र.	पद	स्वीकृत	कार्यरत	कार्यरत का नाम	प्रभार	महाविद्यालय में पदस्थ दिनांक
01	ग्रंथपाल	01	01	श्री पंकज कुमार	ग्रंथालय	08.09.2017
02	क्रीडाधिकारी	01	0	रिक्त	डॉ. तोयज शुक्ला (अतिरिक्त प्रभार)	18.07.2018
03	प्रयोगशाला तकनीशियन	03	0	रिक्त	–	–
04	सहायक ग्रेड 02	01	01	श्री डमरूधर नागवंशी	स्थापना, छात्र शाखा	16.02.1990
05	सहायक ग्रेड 03	02	01	श्री सुरेन्द्र कुमार कोसले	लेखा	21.08.2012
06	सहायक ग्रेड 03 (संविदा)	01	0	रिक्त	–	–
07	प्रयोगशाला परिचारक	04	03	श्री नागेश्वर सिंह	प्राणीशास्त्र, भूगोल विभाग	28.05.2012
				श्री दिनेश कुमार गुप्ता	रसायनशास्त्र, वनस्पति विभाग	30.05.2012
				श्री क्षत्री सिंह	भौतिकी, छात्रवृत्ति शाखा, इलेक्ट्रॉनिक	06.06.2012
				रिक्त	–	–
08	बुक लिफ्टर	01	01	श्रीमती हुलसी बाई	ग्रंथालय	06.07.1993
09	भृत्य	02	01	श्री संदीप कुमार आयम	शुल्क, विश्वविद्यालय संबंधी कार्य	13.12.2011
				रिक्त	–	–
10	स्वीपर	01	01	श्री बिनोद कुमार लकड़ा	सफाई, ट्रेजरी एवं अंकसूची वितरण कार्य	10.09.2003
11	चौकीदार	01	01	श्री जुनस कुजूर	चौकीदारी	07.09.2012

कार्यभार वितरण –

श्री डमरूधर नागवंशी – महाविद्यालय कार्यालयीन प्रभारी साथ ही परामर्शदात्री, प्राचार्य से सीधे निर्देश प्राप्त करना, कार्यालयीन कर्मचारियों के उपस्थिति प्रभारी, कैश बुक का संधारण, स्थापना आदि।

श्री सुरेन्द्र कुमार कोशले – लेखा, शुल्क, प्रवेश, बिलों का संधारण आदि।

श्री नागेश्वर सिंह – समस्त प्रकार के आवेदन पत्रों के प्रभार एवं विक्रय, परिचय–पत्र आदि।

श्री क्षत्री सिंह – छात्रवृत्ति एवं इलेक्ट्रॉनिक प्रभारी।

श्री दिनेश कुमार गुप्ता – कम्प्यूटर टंकण और स्थानांतरण प्रमाण पत्र संबंधी कार्य।

श्री संदीप आयम – शुल्क, विश्वविद्यालय संबंधी कार्य।

श्री विनोद कुमार लकड़ा – शौचालय सफाई के अतिरिक्त ट्रेजरी एवं अंकसूची वितरण कार्य।

शासकीय रानी दुर्गावती महाविद्यालय वाड्रफनगर

शासकीय एवं अशासकीय शुल्क विवरण

क्र.	शुल्क विवरण	स्नातक कला संकाय (भूगोल विषय को छोड कर) /वाणिज्य संकाय	स्नातक कला संकाय (भूगोल विषय सहित) /विज्ञान संकाय	बी.सी.ए.
1.	शिक्षण शुल्क	118	138	138
2.	अवधान राशि	100	100	100
3.	संघ प्रवेश राशि/स्टेशनरी	2	2	2
4.	निर्धन छात्र कल्याण	5	5	5
5.	परिचय पत्र	25	25	25
6.	महाविद्यालय विकास	100	100	100
7.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	20	20	20
8.	कॉमन रूम/वाचनालय	20	20	20
9.	आंतरिक मूल्यांकन	40	40	40
10.	ग्रंथालय परिचय पत्र	10	10	10
11.	जनभागीदारी शुल्क	350	350	350
12.	महाविद्यालय छात्र संघ	20	20	20
13.	महाविद्यालय युवा गतिविधि	20	20	20
14.	सम्मिलित निधि शुल्क	32	32	32
15.	स्नेह सम्मेलन एवं वार्षिक उत्सव शुल्क	10	10	10
16.	चिकित्सा शुल्क	3	3	3
17.	रेड क्रॉस	40	40	40
18.	महाविद्यालय पत्रिका शुल्क	40	40	40
19.	शारीरिक कल्याण शुल्क	160	160	160
20.	नामांकन शुल्क	120	120	120
21.	युवा गतिविधि शुल्क	17	17	17
22.	विश्वविद्यालय पुस्तकालय	25	25	25
	योग –	1277	1297	1297

टीप –

1. बी.सी.ए. कक्षा में प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त प्रायोगिक शुल्क देय होगा।
2. शासन के निर्देशानुसार सभी छात्राएँ शिक्षण शुल्क से मुक्त होंगी।
3. अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति के विद्यार्थी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क से मुक्त रहेंगे।
4. तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संतान को माता–पिता के शासकीय सेवा के प्रमाण पत्र एवं वेतन/आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर शिक्षण शुल्क में पूरी छूट प्रदान की जावेगी।

मेरी प्रतिज्ञा

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि :

विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए,
कड़ी मेहनत, सच्ची लगन, दृढ़ आत्मविश्वास और
पूर्ण निष्ठा के साथ सदैव उत्साहित रहकर अपने लक्ष्य पर
निगाहें जमाए रखूँगा/रखूँगी।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि :

मैं अपने गुरुजनों एवं समस्त बड़ों का सम्मान करुँगा/करुँगी तथा
प्रत्येक व्यक्ति के साथ शिष्टता का व्यवहार करुँगा/करुँगी।

मैं प्रतिज्ञा करता/करती हूँ कि :

मैं उन सभी प्रवृत्तियों का त्याग करुँगा/करुँगी,
जो मेरे लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधक बनेंगे।

Suraj Graphix # 7415157000

Web : www.govtcollegewadrafnagar.ac.in

Email : ranidurgawati001@gmail.com